

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 15-11-2025

विषय सूची

- » बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती
- » भारत द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 अधिसूचित
- » भारत, कनाडा द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस साझेदारियों के साथ संबंधों को पुनर्जीवित
- » स्टेम सेल थेरेपी

संक्षिप्त समाचार

- » ग्रीनलैंड
- » होर्मुज जलडमरूमध्य
- » तुर्काना झील
- » GCC द्वारा अनुमोदित "वन-स्टॉप" यात्रा प्रणाली
- » ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर
- » कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन
- » अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग
- » इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF)
- » सालूमरदा थिम्मक्क

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती

समाचारों में

- 15 नवंबर को **जनजातीय गौरव दिवस** मनाया जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का स्मरण है। भारत सरकार ने 2021 में इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया।

बिरसा मुंडा

- उनका जन्म 1874 में झारखंड के उलिहातु गाँव में हुआ था।
- वे एक आध्यात्मिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे।
- उन्हें धरती आबा ("पृथ्वी के पिता") के नाम से जाना जाता है।
- उन्होंने उलगुलान या "महान कोलाहल" (1899–1900) (जिसे मुंडा विद्रोह (1895–1900) भी कहा जाता है) का नेतृत्व किया, जो जनजातीय स्वशासन और खुंटकटी (सामुदायिक भूमि अधिकार) की पुनर्स्थापना के लिए एक प्रचंड आंदोलन था।
- उन्होंने ब्रिटिश भूमि कानूनों और सामंती शोषण के विरुद्ध मुंडा जनजातियों को एकजुट किया।
- उन्होंने एक नैतिक, स्वशासित समाज की कल्पना की जो औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त हो।
- उन्हें पकड़ा गया और मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में शहीद कर दिया गया।

मुंडा विद्रोह (1895–1900)

- जिसे उलगुलान (महान कोलाहल) भी कहा जाता है, यह बिरसा मुंडा द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, शोषक बाहरी लोगों (जिन्हें दिकु कहा जाता था), और छोटानागपुर क्षेत्र में पारंपरिक जनजातीय प्रणालियों के क्षरण के विरुद्ध किया गया एक प्रमुख जनजातीय आंदोलन था।
- यह विद्रोह जनजातीय प्रतिरोध का एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है और अंततः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) 1908 जैसे विधायी सुधारों को प्रेरित किया, जिसने जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा की।

विद्रोह के प्रमुख कारण

- आर्थिक शोषण और भूमि से बेदखली:** ब्रिटिश राजस्व नीतियों ने पारंपरिक खुंटकटी प्रणाली को नष्ट कर दिया। भूमि जमींदारों, महाजनों, ठेकेदारों और गैर-जनजातीय बसने वालों (दिकु) को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे जनजातीय भूमि का व्यापक हरण हुआ।
- जबरन मजदूरी (बेथ बेगारी):** जनजातियों, विशेषकर मुंडाओं को ब्रिटिश और दिकुओं के लिए अनिवार्य, प्रायः बिना वेतन की मजदूरी करनी पड़ती थी, जिससे उनकी कठिनाइयाँ बढ़ीं और असंतोष भड़क उठा।
- धार्मिक और सांस्कृतिक दमन:** मिशनरी गतिविधियाँ, जबरन धर्मांतरण और विदेशी कानूनों का थोपना पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा बन गया।
- राजनीतिक हाशिए पर डालना:** ब्रिटिश प्रशासन ने मुंडाओं के भूमि, न्याय और स्वशासन के पारंपरिक अधिकार छीन लिए, जिससे उनकी स्वायत्तता एवं पारंपरिक नेतृत्व कमजोर हो गया।
- पहचान का दावा और बिरसा मुंडा का नेतृत्व:** बिरसा मुंडा के नेतृत्व ने नई पहचान, आध्यात्मिक पुनर्जागरण और जनसमुदाय को संगठित करने की शक्ति दी, जिससे समुदाय औपनिवेशिक शोषण का विरोध करने तथा अपने अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एकजुट हुआ।

सरकार के कदम

- जनजातीय गौरव दिवस** बिरसा मुंडा की विरासत और अनुसूचित जनजातियों के योगदान का सम्मान करता है, जिसका उद्देश्य उनके संघर्षों और धरोहर को भारत की राष्ट्रीय चेतना में समाहित करना है।
- जनजातीय गौरव वर्ष और 11 समर्पित संग्रहालयों** जैसी पहलों के माध्यम से सरकार एक भारत, श्रेष्ठ भारत की दृष्टि को सुदृढ़ करती है—एक ऐसा राष्ट्र जो सभी समुदायों का उत्सव मनाता है।

- ▲ ये संग्रहालय, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के समर्थन योजना के अंतर्गत वित्तपोषित हैं, जिनका उद्देश्य उन जनजातीय इतिहासों का दस्तावेजीकरण और प्रसार करना है जिन्हें प्रायः मुख्यधारा की कथाओं में नज़रअंदाज़ किया गया है।

Source : PIB

भारत द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 अधिसूचित

संदर्भ

- भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं, जिससे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 का पूर्ण क्रियान्वयन हो गया है।

नियम की प्रमुख विशेषताएँ

- **चरणबद्ध क्रियान्वयन:** DPDP नियम 18 महीने की चरणबद्ध अनुपालन समयसीमा प्रदान करते हैं, जिससे संगठनों, विशेषकर स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को अनुकूलन का समय मिल सके।
- **कंसेंट मैनेजर्स:** डेटा अनुमतियों को प्रबंधित करने में व्यक्तियों की सहायता करने वाले कंसेंट मैनेजर्स भारतीय कंपनियाँ ही होंगी, जिससे घरेलू अधिकार क्षेत्र और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
- **व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन सूचना के स्पष्ट प्रोटोकॉल:** किसी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में, डेटा फिड्यूसियरी को प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत उल्लंघन की प्रकृति, संभावित परिणाम और हानि को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।
- **बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षा:** बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य होगी, केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और वास्तविक समय सुरक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए सीमित छूट दी जाएगी।
- **डिजिटल-प्रथम डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB):** DPB एक पूर्णतः डिजिटल न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिससे शिकायतों का ऑनलाइन दाखिला, ट्रैकिंग और समाधान संभव होगा।

- ▲ एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप पारदर्शिता और पहुँच की सुविधा बढ़ाएंगे।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही उपाय:** डेटा फिड्यूसियरी को स्पष्ट संपर्क विवरण (जैसे नामित अधिकारी या डेटा संरक्षण अधिकारी) प्रदर्शित करने होंगे ताकि व्यक्ति अपनी चिंताएँ उठा सकें।

DPDP अधिनियम, 2023 की समयरेखा

- **2011:** डिजिटल गोपनीयता कानून पर विशेषज्ञ समूह का गठन; 2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत।
- **2017:** आईटी मंत्रालय ने पैनल बनाया; 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत।
- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।**
- **न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति का गठन डेटा संरक्षण कानून का मसौदा तैयार करने हेतु किया गया।**
- **2018-2021:** व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक के कई मसौदे पेश और संशोधित किए गए; दिसंबर 2021 में संयुक्त संसदीय समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **2022:** विधेयक वापस लिया गया, नए परामर्श प्रस्तावित।
- **2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद में पेश हुआ और पारित हुआ; अधिकार-आधारित शासन के माध्यम से डेटा संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु।
- **2025:** सरकार ने जनवरी में मसौदा नियम पेश किए और नवंबर 2025 में अंतिम नियम जारी किए।

DPDP अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

- **सहमति-आधारित डेटा प्रसंस्करण:** संगठनों को उपयोगकर्ताओं से उनका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले स्पष्ट और सूचित सहमति प्राप्त करनी होगी।
- **डेटा न्यूनतमकरण:** केवल आवश्यक डेटा ही एकत्र किया जाए और उसे केवल घोषित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए।

- **मिटाने का अधिकार:** उपयोगकर्ता अपने डेटा को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं, विशेषकर लंबे समय तक निष्क्रियता के बाद।
- **डेटा संरक्षण सीमा:** कंपनियों को तीन वर्ष की निष्क्रियता के बाद उपयोगकर्ता डेटा हटाना होगा, उपयोगकर्ता को 48 घंटे पहले सूचना देकर।
- **सीमापार डेटा हस्तांतरण:** अधिनियम कुछ देशों को डेटा हस्तांतरण की अनुमति देता है, जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
- **दंड:** अनुपालन न करने पर उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

संबंधित विवाद और चिंताएँ

- **सरकारी छूट और निगरानी शक्तियाँ:** नियम सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट देते हैं, जिससे वे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारणों से सहमति आवश्यकताओं को दरकिनार कर सकते हैं।
- **RTI और पारदर्शिता पर प्रभाव:** RTI अधिनियम में संशोधन से सार्वजनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे जवाबदेही कमजोर होती है और सार्वजनिक निगरानी घटती है।
- **व्यवसायों पर अनुपालन भार :** नियम डेटा फिड्यूशियरी पर कठोर दायित्व लगाते हैं, जिनमें अनिवार्य डेटा ऑडिट, उल्लंघन सूचना और सहमति प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं।
- **OTT प्लेटफॉर्म और मनोरंजन ऐप्स:** विशेषकर बच्चों को लक्षित करने वाले ऐप्स को अभिभावक की सहमति और व्यवहारिक ट्रेकिंग पर प्रतिबंध जैसी आवश्यकताओं के कारण अधिक लागत का सामना करना पड़ता है।
- **सीमापार डेटा हस्तांतरण की अनिश्चितता:** नियम 'विश्वसनीय' देशों को डेटा हस्तांतरण की अनुमति देते हैं, लेकिन विश्वसनीयता के मानदंड परिभाषित नहीं हैं।
 - इससे भारत में काम कर रही वैश्विक टेक कंपनियों और क्लाउड सेवा प्रदाताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

Source: TH

भारत, कनाडा द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस साझेदारियों के साथ संबंधों को पुनर्जीवित

समाचारों में

- भारत और कनाडा ने हाल ही में 7वां मंत्रीस्तरीय संवाद (MDTI) व्यापार और निवेश पर आयोजित किया।

परिचय

- भारत और कनाडा ने आपसी सम्मान और दूरदर्शी सहयोग की पुनः पुष्टि की तथा महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, एयरोस्पेस एवं द्वि-उपयोगी प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों ने विशेषकर कृषि क्षेत्र में लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बल दिया और पारदर्शी निवेश वातावरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई।
- दोनों पक्षों ने जन-से-जन संबंधों के महत्व को रेखांकित किया और 2026 की शुरुआत में व्यापार एवं निवेश हितधारकों के साथ निरंतर मंत्रीस्तरीय सहभागिता का संकल्प लिया।

भारत-कनाडा संबंध

अवलोकन:

- भारत-कनाडा संबंध लोकतंत्र, सांस्कृतिक विविधता, बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और लंबे समय से चले आ रहे जन-से-जन संबंधों जैसी साझा मूल्यों पर आधारित हैं।
- दोनों पक्षों के पास मंत्रीस्तरीय स्तर पर रणनीतिक, व्यापार और ऊर्जा संवाद; विदेश कार्यालय परामर्श; पर्यावरण पर संयुक्त समिति बैठक तथा अन्य क्षेत्र-विशिष्ट संयुक्त कार्य समूह (JWG) जैसी संवाद व्यवस्थाएँ हैं।

आर्थिक संबंध:

- 2024 में भारत-कनाडा द्विपक्षीय वस्तु व्यापार कुल CAD 13.32 बिलियन रहा, जिसमें भारत ने CAD 8.02 बिलियन का निर्यात और CAD 5.30 बिलियन का आयात किया।
- 2024 में द्विपक्षीय सेवाओं का व्यापार CAD 18.6 बिलियन रहा, जिसमें भारत का निर्यात CAD 3.5 बिलियन और आयात CAD 15.1 बिलियन था।

सुरक्षा सहयोग:

- भारत और कनाडा 1997 में स्थापित संयुक्त कार्य समूह (JWG) के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग में संलग्न हैं, जिसे 2018 के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए रूपरेखा द्वारा सुदृढ़ किया गया।

असैनिक परमाणु सहयोग:

- भारत और कनाडा ने जून 2010 में परमाणु सहयोग समझौते (NCA) पर हस्ताक्षर किए, जो सितंबर 2013 में लागू हुआ और शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को सक्षम बनाया।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में आगे का सहयोग फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री टूडो की भारत यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से औपचारिक किया गया।

ऊर्जा सहयोग:

- भारत और कनाडा ने सितंबर 2016 में मंत्रीस्तरीय स्तर पर ऊर्जा संवाद आयोजित किया, जिसे फरवरी 2018 में बिजली, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।
- आगे की सहभागिता तब हुई जब भारत के पेट्रोलियम सचिव ने 2023 में कैलगरी में आयोजित विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में भाग लिया।

अंतरिक्ष:

- भारत और कनाडा ने ISRO और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच 1996, 2003 एवं 2015 में हस्ताक्षरित MoU के माध्यम से एक लंबे समय से चले आ रहे अंतरिक्ष साझेदारी का निर्माण किया है, जो उपग्रह ट्रेकिंग, अंतरिक्ष खगोल विज्ञान तथा शांतिपूर्ण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग पर केंद्रित है।
- इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने कई कनाडाई नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, जिसमें जनवरी 2018 में इसरो के 100वें पीएसएलवी मिशन के माध्यम से कनाडा का प्रथम निम्न-पृथ्वी कक्षा उपग्रह भी शामिल है।

Source :ET

स्टेम सेल थेरेपी

समाचारों में

- ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एडिपोज-व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाओं (ADSCs) का उपयोग करके रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने की एक नई तकनीक विकसित की है।

परिचय

- ऑस्टियोपोरोसिस जापान में 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और वृद्ध होती जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर बढ़ रहा है।
- कशेरुक संपीड़न फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित सबसे सामान्य चोटें हैं।
- वर्तमान उपचार (वर्टेब्रोप्लास्टी, काइफोप्लास्टी, इम्प्लांट्स) में सीमाएँ हैं: आक्रामक, महंगे, जटिलताओं या पुनः फ्रैक्चर का जोखिम।

स्टेम कोशिकाएँ

- स्टेम कोशिकाएँ अविभेदित जैविक कोशिकाएँ होती हैं जो स्वयं नवीनीकरण और विशिष्ट कोशिका प्रकारों में विभेदन दोनों में सक्षम होती हैं।
- ये पुनर्योजी चिकित्सा की नींव बनाती हैं और अपक्षयी, आनुवंशिक तथा चोट-संबंधी रोगों के उपचार की संभावना रखती हैं।

स्टेम कोशिकाओं के प्रकार

- भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएँ (ESCs)
 - स्वभाव से बहु-शक्तिशाली (Pluripotent); शरीर की सभी कोशिका प्रकार बना सकती हैं।
 - प्रारंभिक अवस्था के भ्रूणों से प्राप्त।
 - इनके स्रोत के कारण नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे कड़े नियामक नियंत्रण लागू होते हैं।
- वयस्क (सामान्य) स्टेम कोशिकाएँ
 - बहु-क्षमतावान (Multipotent), ESCs की तुलना में सीमित विभेदन क्षमता।
 - अस्थि मज्जा, त्वचा, वसा ऊतक और अन्य अंगों में पाई जाती हैं।

- मुख्यतः उस ऊतक को बनाए रखने और मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होती हैं जिसमें वे पाई जाती हैं।
- **प्रेरित बहु-शक्तिशाली स्टेम कोशिकाएँ (iPSCs)**
 - वयस्क कोशिकाओं (जैसे त्वचा कोशिकाएँ) को पुनः प्रोग्राम करके बहुशक्तिशाली स्टेम कोशिकाओं जैसा व्यवहार करने हेतु बनाई जाती हैं।
 - ESCs जैसी ही विशेषताएँ होती हैं लेकिन नैतिक मुद्दे नहीं होते।
 - रोग मॉडलिंग, दवा परीक्षण और पुनर्योजी अनुसंधान में उपयोगी।
- **मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाएँ (MSCs)**
 - वयस्क स्टेम कोशिकाओं का एक उपसमूह, अस्थि मज्जा, वसा ऊतक और नाल में पाया जाता है।
 - हड्डी, उपास्थि और वसा कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं।
 - हड्डी और ऊतक पुनर्जनन में उनकी भूमिका के लिए व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है।

एडिपोज़-व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएँ (ADSCs)

- वसा ऊतक से निकाली गई बहु-क्षमतावान कोशिकाएँ।
- इन्हें निकालना आसान है, यहाँ तक कि बुजुर्ग रोगियों में भी, और ये अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं की तुलना में कम आक्रामक विकल्प प्रस्तुत करती हैं।
- उच्च प्रसार दर के कारण, ADSCs हड्डी, उपास्थि और घाव भरने की चिकित्सा में सुदृढ़ संभावनाएँ दिखाती हैं।

ADSC-आधारित चिकित्सा के लाभ

- न्यूनतम आक्रामक, क्योंकि वसा निकालना अस्थि मज्जा प्रक्रियाओं की तुलना में सुरक्षित है।
- बुजुर्ग व्यक्तियों में भी प्रभावी, जिनकी ऊतक गुणवत्ता घट रही होती है।
- मरम्मत-संबंधी जीन को सक्रिय करके प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देती है।
- कृत्रिम इम्प्लांट्स या धातु उपकरणों की आवश्यकता को कम करती है।
- बार-बार सर्जिकल हस्तक्षेप को कम करके दीर्घकालिक लागत बचत की संभावना।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- अधिकांश अध्ययन अभी भी **पशु-परीक्षण चरण** में हैं और मानव नैदानिक परीक्षण जारी हैं।
- दीर्घकालिक सुरक्षा, स्थिरता और अनियंत्रित कोशिका वृद्धि का जोखिम अभी भी अनिश्चित है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

ग्रीनलैंड

समाचारों में

- ग्रीनलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है।

ग्रीनलैंड के बारे में (राजधानी: नूक)

- ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
- यह डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है, जबकि द्वीप की स्वशासी सरकार अधिकांश घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।



- यह अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित है तथा ग्रीनलैंड की समुद्री सीमाएँ कनाडा, आइसलैंड और नॉर्वे से मिलती हैं।
- यह अपने विशाल टुंड्रा और विशाल हिमनदों के लिए प्रसिद्ध है।
- ग्रीनलैंड आइस शीट, एकल हिमनद या ग्लेशियर है जो ग्रीनलैंड द्वीप के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को ढकता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिम द्रव्यमान है और वैश्विक स्तर पर आकार में केवल अंटार्कटिका को ढकने वाले हिम द्रव्यमान से छोटा है।

Source: TH

होर्मुज जलडमरूमध्य

समाचारों में

- ईरानी बलों ने हाल ही में एक मार्शल द्वीप ध्वजांकित तेल टैंकर का अधिग्रहण कर लिया जब वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, जो विश्व का सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग है।

होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में

- अवस्थिति:
 - ▲ यह एक संकीर्ण जलडमरूमध्य है (33 किमी चौड़ा) जो फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
 - ▲ उत्तर में ईरान स्थित है; दक्षिण में ओमान (मुसंदम प्रायद्वीप) स्थित है।
- सामरिक महत्व: यह वैश्विक तेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहाँ से प्रतिदिन विश्व के लगभग पाँचवें हिस्से का पेट्रोलियम गुजरता है।

Source: TH

तुर्काना झील

संदर्भ

- सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने प्रकटीकरण किया है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित लंबे समय तक चले जल स्तर में गिरावट ने लेक तुर्काना में भूकंप और ज्वालामुखीय

गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जो पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली में स्थित है।

लेक तुर्काना

- यह मुख्य रूप से उत्तरी केन्या में स्थित है, जबकि इसका उत्तरी सिरा इथियोपिया तक फैला हुआ है।
- यह पूर्वी अफ्रीका की सबसे लवणीय झील है और विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, जो एक शुष्क, लगभग परग्रही प्रतीत होने वाले परिदृश्य से घिरी हुई है, जहाँ प्रायः जीवन का अभाव होता है।
- यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है, जिसे इसके मनमोहक रंग के कारण प्यार से जेड सी (Jade Sea) कहा जाता है।

Source :DTE

GCC द्वारा अनुमोदित “वन-स्टॉप” यात्रा प्रणाली

समाचारों में

- क्षेत्रीय एकीकरण को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने एक “वन-स्टॉप” यात्रा प्रणाली को स्वीकृति दी है, जो सदस्य देशों के बीच आवागमन को सरल बनाएगी।
- यह वन-स्टॉप यात्रा प्रणाली अनावश्यक यात्रा प्रक्रियाओं को समाप्त करती है और सदस्य देशों के बीच सुदृढ़ सहयोग को बढ़ावा देती है।

गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के बारे में

- अवलोकन: गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) फारस की खाड़ी के छह अरब देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक समूह है।
- स्थापना: 1981 (रियाद)
- सदस्य: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- आर्थिक महत्व: GCC के पास विश्व के लगभग 30% तेल भंडार और लगभग 20% गैस भंडार हैं।

Source: TOI

ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर (SOUTHERN SPEAR) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य “नार्को-आतंकवादियों को हटाना” है।

ऑपरेशन के बारे में

- SOUTHCOM का अर्थ है यू.एस. साउदर्न कमांड, जिसका क्षेत्रीय दायित्व दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन के 31 देशों तक फैला है।
- अमेरिका के अनुसार, इस मिशन के उद्देश्य हैं:
 - अमेरिकी मातृभूमि की रक्षा करना
 - पश्चिमी गोलार्ध से नार्को-आतंकवादी खतरों को हटाना
 - मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकना, जिन्हें अमेरिका कहता है कि वे उसकी जनसंख्या को हानि पहुँचा रहे हैं।

Source: TH

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन

समाचारों में

- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) ने हाल ही में 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (DNSA) स्तर की बैठक के दौरान बांग्लादेश को अपना पाँचवाँ सदस्य राष्ट्र के रूप में आधिकारिक रूप से स्वागत किया।

परिचय

- अवलोकन:** कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना 2020 में हुई थी, जब भारत, श्रीलंका और मालदीव ने समुद्री सहयोग पर अपनी त्रिपक्षीय बैठक के दायरे को विस्तारित करने पर सहमति जताई।
- उद्देश्य:** क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, ताकि साझा चिंता वाले अंतरराष्ट्रीय खतरों और चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान किया जा सके।
- सदस्य:** भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और बांग्लादेश

- पर्यवेक्षक राष्ट्र: सेशेल्स
- सहयोग के स्तंभ:
 - समुद्री सुरक्षा
 - आतंकवाद विरोधी कार्रवाई
 - अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से मुकाबला
 - साइबर सुरक्षा
 - मानवीय सहायता और आपदा राहत

Source: PIB

अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग

समाचारों में

- अंबाजी मार्बल को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग (GI Tag) प्रदान किया गया है। यह प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा दिया जा रहा है।

अंबाजी मार्बल

- अंबाजी की संगमरमर खदानें लगभग 1200–1500 वर्ष पुरानी हैं, जब माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण हुआ था।
- यह अपने दूधिया सफेद रंग, मजबूती, उच्च कैल्शियम सामग्री और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
- यह उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में पाया जाता है।
- माना जाता है कि इसका उपयोग अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में भी किया गया है।
- इस संगमरमर का उपयोग विदेशों में भी मंदिर निर्माण में किया गया है, जिनमें मियामी, लॉस एंजेलिस, बोस्टन, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड शामिल हैं।

GI टैग प्राप्त करने का महत्व

- GI टैग न केवल उत्पाद की पहचान और प्रामाणिकता की रक्षा करता है बल्कि इसके बाज़ार मूल्य एवं निर्यात क्षमता को भी बढ़ाता है।
- GI टैग अंबाजी मार्बल को वैश्विक बाज़ारों में एक विशिष्ट ब्रांड पहचान स्थापित करने में सहायता करेगा,

जिससे भारत और विदेशों में इसकी मांग बढ़ेगी तथा स्थानीय उद्योगों व कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा।

Source :IE

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF)

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF) शुरू की है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वित्त वर्ष 2026 तक 300 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF) के बारे में

- अवलोकन: इसे 2016 में MeitY के अंतर्गत शुरू किया गया था, जो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियानों का एक प्रमुख घटक है।

What are Daughter Funds?

- These are professionally managed venture capital funds that receive investment from the EDF to support startups and innovation in electronics and IT.

- फंड ऑफ फंड्स मॉडल:** EDF सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता, बल्कि यह डॉटर फंड्स में निवेश करता है, जो आगे चलकर स्टार्टअप्स और नवाचार-आधारित उद्यमों में निवेश करते हैं।
- फंड मैनेजर:** इस फंड का प्रबंधन CANBANK वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (CVCFL) द्वारा किया जाता है।
- रणनीतिक महत्व:** भारत की आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता कम करना
 - सेमीकंडक्टर, IoT, AI और रोबोटिक्स जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करना
 - भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में स्थापित करना

Source: PIB


सालूमरदा थिम्मक्का

समाचारों में

- भारत ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता सालूमरदा थिम्मक्का के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वह देश की सबसे सम्मानित पर्यावरणविदों में से एक थीं और जन-आधारित वनीकरण की वैश्विक प्रतीक मानी जाती थीं।

परिचय

- थिम्मक्का का जन्म गुब्बी तालुक, तुमकुरु ज़िला में हुआ था और बाद में वे हुलीकल में बस गईं।
- उनका जीवन गरीबी और व्यक्तिगत दुखों से प्रभावित रहा।
- 1950 के दशक से, उन्होंने और उनके पति बिककला चिक्कैया ने प्रतिदिन कई मील तक पानी ढोया, पौधों को कांटेदार शाखाओं से चरने वाले पशुओं से बचाया और अधिकतर पौधारोपण



मानसून ऋतु में किया ताकि पेड़ों का जीवित रहना सुनिश्चित हो सके।

- उनके सतत प्रयासों से एक हरित गलियारा बना, जो छाया प्रदान करता है, पक्षियों के जीवन को सहारा देता है और सूक्ष्म जलवायु को नियंत्रित करता है। यह सामुदायिक वनीकरण का एक जीवंत उदाहरण है।
- उनकी विरासत ने कर्नाटक की वनीकरण नीतियों को भी प्रभावित किया और पूरे भारत में अनेक वृक्षारोपण आंदोलनों को प्रेरित किया।
- उन्होंने लगाए गए 385 पेड़ों को 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दौरान काटे जाने से बचाया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से अपील की।

Source: TH

